जिन्हें MEDIF भरने की आवश्यकता है

मौटे तौर पर, जिन यात्रियों को स्वास्थ्य के कारण एयरलाइन से विशेष सहायता/सुविधा की आवश्यकता होती है, वे मेडिकल केस के रूप में यात्रा करने के लिए, एयरलाइन आरक्षण से सूचना तथा आवश्यक फार्म अर्थात् MEDIF उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकते हैं। निम्नलिखित चिकित्सा/स्वास्थ्य दशा वाले यात्रियों को MEDIF फार्म भरने की आवश्यकता होती है।

1. विमान में उड़ान के दौरान जिन यात्रियों को स्ट्रेचर अथवा इनक्यूबेटर की आवश्यकता होती है।
2. इलाज कर रहे चिकित्सक के अनुसार, जिस यात्री की चिकित्सीय दशा के कारण उसे विमान में उड़ान के दौरान अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
3. जिन यात्रियों को पैर उठाकर रखने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है।

जिन यात्रियों को ग्राउंड तथा विमान में मदद एवं सहायता की आवश्यकता होती है। जिन यात्रियों को विमान में उड़ान के दौरान चिकित्सीय उपकरण के उपयोग की आवश्यकता होती है।

आदर्श रूप से, MEDIF अशक्त यात्री/उनके प्रतिनिधि द्वारा यात्री की वर्तमान चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए इलाज कर रहे डॉक्टर की सिफारिश पर किसी भी स्थिति में यात्रा आरंभ होने की तिथि से 14 दिन पहले (उससे अधिक समय पूर्व नहीं) भेजा जाना चाहिए। यह मुख्यत: उन अशक्त यात्रियों के लिए लागू होता है जिनकी अशक्तता प्रमाणित तथा स्थायी है। आदर्श रूप से, अस्थिर चिकित्सीय स्थिति वाले यात्री को इलाज कर रहे अपने चिकित्सक के आधार पर हवाई यात्रा आरंभ करने के एक सप्ताह के भीतर एयरलाइन से मेडिकल क्लीयरेंस लेना चाहिए।